पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 17/2021

1. मनोहरलाल पुत्र श्री धनपत जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. धनपत पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।
2. शिशपाल पुत्र धनपत जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।
3. राजकुमार पुत्र धनपत जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।
4. चन्द्रभान पुत्र धनपत जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।
5. सुनहरीदेवी पुत्री धनपत जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।
6. पारीदेवी पुत्री धनपत जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रोहताश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घेउ के खाता सं0 136/132 के खसरा सं0 493 की 1.0750है0 खसरा सं0 695 की 1.6060है0 खसरा सं0 729 की 5.2360है0 खसरा सं0 755 की 5.5640है0 कुल 13.4810है0 व इसी प्रकार रोही मौजा घेउ के ही खाता सं0 137/133 के खसरा सं0 492 की 4.8060है0 खसरा सं0 497 की 1.2140है0 खसरा सं0 542/2 की 1.4040है0 खसरा सं0 544 0.3030है0 कुल 7.7270है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 धनपत के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 धनपत की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादीया स0 5 व 6 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी स0 1 मनोहरलाल प्रतिवादी सं0 1 धनपत प्रतिवादी सं0 2 शिशपाल प्रतिवादी सं0 3 राजकुमार प्रतिवादी सं 4 चन्द्रभान को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.3.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 17/2021

1. मनोहरलाल पुत्र श्री धनपत जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा। :– **वादी**

ब ना म

1. धनपत पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।
2. शिशपाल पुत्र धनपत जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।
3. राजकुमार पुत्र धनपत जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।
4. चन्द्रभान पुत्र धनपत जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।
5. सुनहरीदेवी पुत्री धनपत जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।
6. पारीदेवी पुत्री धनपत जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा :– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग **: वादी**

वकील श्री रोहताश शर्मा **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 10.3.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा घेउ के खाता सं0 136/132 के खसरा सं0 493 की 1.0750है0 खसरा सं0 695 की 1.6060है0 खसरा सं0 729 की 5.2360है0 खसरा सं0 755 की 5.5640है0 कुल 13.4810है0 व इसी प्रकार रोही मौजा घेउ के ही खाता सं0 137/133 के खसरा सं0 492 की 4.8060है0 खसरा सं0 497 की 1.2140है0 खसरा सं0 542/2 की 1.4040है0 खसरा सं0 544 0.3030है0 कुल 7.7270है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 धनपत के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा लिछमण की खातेदारी हुआ करती थी। लिछमण के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 धनपत ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 6 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्यों को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्रों के साथ से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 7 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

साक्ष्य वादी में मनोहरलाल पुत्र धनपत जाति जाट निवासी घेउ के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 जमाबंदी घेउ खाता सं0 136/132 संवत 2075–78 प्रदर्श 2 जमाबंदी घेउ खाता सं0 137/133 प्रदर्श 3 जमाबंदी भू–प्रबन्धक विभाग प्रदर्श 4–5 प्रदर्शित करवाये।

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने वहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताविक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति सावित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही घेउ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 जमाबंदी घेउ खाता सं0 136/132 संवत 2075–78 प्रदर्श 2 जमाबंदी घेउ खाता सं0 137/133 प्रदर्श 3 जमाबंदी भू–प्रबन्धक विभाग प्रदर्श 4–5 प्रदर्शित करवाये। जिसमें जमाबंदी प्रदर्श 4–5 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 1 में वारिस प्रमाण के अनुसार धनपत के चार पुत्र मनोहरलाल, शिशपाल, राजकुमार, चन्द्रभान व दो पुत्री सुनहरीदेवी, पारीदेवी तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादीया सं0 5 व 6 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 01 ता 04 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

<u>कियात्मक आदेश</u>

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घेउ के खाता सं0 136/132 के खसरा सं0 493 की 1.0750है0 खसरा सं0 695 की 1.6060है0 खसरा सं0 729 की 5.2360है0 खसरा सं0 755 की 5.5640है0 कुल 13.4810है0 व इसी प्रकार रोही मौजा घेउ के ही खाता सं0 137/133 के खसरा सं0 492 की 4.8060है0 खसरा सं0 497 की 1.2140है0 खसरा सं0 542/2 की 1.4040है0 खसरा सं0 544 0.3030है0 कुल 7.7270है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 धनपत के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 धनपत की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादीया स0 5 व 6 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिंए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी स0 1 मनोहरलाल प्रतिवादी सं0 1 धनपत प्रतिवादी सं0 2 शिशपाल प्रतिवादी सं0 3 राजकुमार प्रतिवादी सं 4 चन्द्रभान को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.3.21........ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सह(सत्यनारायण) कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner